



कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2022-23/ 13049
निमित्त,

दिनांक 16/11/22

अधिशायी अभियंता, सा0 नि0 विभाग,
जिला खण्ड-बस्सी (जयपुर)


विषय:- प्रस्ताव "Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के कम में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय के द्वारा किये गये EDS दिनांक 20.10.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला कलेक्टर, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 2.08.2022 को आयोजित हुई मितिग में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त प्रस्ताव में काम आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 4.584 है0 के बदले में गैर वन भूमि क्षेत्रफल 4.584 है0 व महंगी से दूधली मोड तक सडक में आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 3.4764 है0 के बदले में गैर वन भूमि क्षेत्रफल 3.5568 है0 दोनों प्रस्तावों की कुल गैर वन भूमि 8.1508 है0 ग्राम दांतली, तहसील-जमवारामगढ जिला जयपुर, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के कार्यालय के क्षेत्राधिकार में दी जावेगी। अतः उक्त प्रकरण में LAND SUITABILITY CERTIFICATE कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर द्वारा जारी किये जाने के बाद ही इस कार्यालय द्वारा आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त प्रकरण में कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर के द्वारा आपके कार्यालय को लिखे गये पत्र क्रमांक 5395 दिनांक 28.10.22 में वर्णित अनुसार आप द्वारा जमा कराई गई KML अब भी वन भूमि के क्षेत्र पर Overlapping हो रही हैं। अतः कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर द्वारा LAND SUITABILITY CERTIFICATE जारी किय जाने के बाद ही प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किये जावें, जिससे प्रकरण मे आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,


(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2021-22/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर को दी जाकर निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण के बदले गैर वन भूमि ग्राम दांतली, तहसील-जमवारामगढ जिला जयपुर में दिया जाना प्रस्तावित हैं, जो कि आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आती हैं। अतः प्राप्त गैर वन भूमि के उपयुक्तता पाये जाने पर उसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करवायी जावें, जिससे प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)